उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-100/2018/1685/92-2-18-06जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 31 जुलाई,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में सहायक अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय धनराशि रू0 10,000.00 से अधिक के कार्यादेश निर्गत कर वित्तीय अनियमितता कर शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-51/2016/1650/92-2-16-06जांच/2016 दिनांक 29-08-2016 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली के पत्र संख्या-507/ग्रा0 अ0वि0/आशु-अनु0जांच/पत्रा0-08/श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सहा0अभि0/2017-18 दिनांक 13-06-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-954/92-2-17-06जांच/2016 दिनांक 13-07-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 02-08-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों पर उपलब्ध कन्टीजेन्सी मद की धनराशि उपर्युक्त कार्यदेशों द्वारा अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन की रंगाई, पुताई, सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई कार्यो पर व्ययकी गयी, जिससे यद्पि किसी प्रकार की शासकीय क्षति परिलक्षित नही हुई तथापि डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों पर उपलब्ध धनराशि कार्यालय भवन पर व्ययकिया जाना वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिये शासन द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार को परिनिन्दा का दण्ड तथा एक वर्ष की वेतनवृद्धि रोके जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चय करते हुये शासन के पत्र दिनांक 05-07-2017 द्वारा उक्त पर मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबादसे सहमति मांगी गयी, जो आयोगके पत्र दिनांक 30-06-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें मा0 आयोग द्वारा वित्तीय क्षति से संबंधित कोई दण्ड दिये जाने का औचित्य न होने के कारण कराये गये कार्य में प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिये श्री ज्ञानेन्द्र कुमार को प्रशासनिक दण्ड के रूप में परिनिन्दा का दण्ड दिया जाना उचित बताया गया है।

3- अतएव अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड एवं उस पर मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा किये गये संवीक्षण/प्राप्त सहमति एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी है परन्तु श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता कार्यादेश निर्गत करने हेतु उसकी स्वीकृति न प्राप्त कर कार्य कराने एवं भुगतान की संस्तुति करने के उत्तरदायी है। अत: उनके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-51/2016/1650/92-2-16-06जांच/2016 दिनांक 29-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त करने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-100/2018/1685(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली।
3- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।